फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

परसराम पिता भावसिंह बंजारा निवासी रोड़ जी का खेड़ा तहसील डूंगला

बनाम

भोलीराम पिता सवा जी मीणा, निवासी मां साहब का खेडा, तह. बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 13/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि इस हेतु उन्हें कई बार निर्देशित किया गया है तथा पेशी दिनांक 02.02.2024 को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है फिर भी अधिवक्ता अपीलांट ने आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	